क्रमांक 354015/PIM/2013

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर–462003
दूरभाष 2552646, 2552878 फैक्स 2552406, Email No encwrbpl@mp.nic.in

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

प्रति,

1 मुख्य अभियंता,
____
कछार/परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
__________ (म.प्र.)

2 वेब मैनेजर,
पाइकू,
विश्व बैंक परियोजनाएं,
स्वारा भवन, भोपाल

विषयः—दृष्टि पत्र 2018

000

मध्यप्रदेश शासन के व्दारा वर्ष 2013 से 2018 तक प्रदेश के समग्र विकास हेतु दृष्टि पत्र (Vision Document) 2018 बनाया गया है। इस दृष्टि पत्र का बिन्दु कमांक–1 सिंचाई विकास से संबंधित है जिसका सार संक्षेप संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया योजनाओं के सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि में दृष्टि पत्र के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सहपत्रः—उपरोक्तानुसार

18.12.13

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

दृष्टि पत्र (Vision Document) 2018
जल संसाधन विभाग

1.B. सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास

प्रदेश के अभूतपूर्व कृषि विकास में विगत पाँच वर्षों में हुए सिंचाई सुविधा के व्यापक विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में जहाँ कृषि क्षेत्र बढ़ाने पर निरंतर बल दिया जाता रहेगा, वहीं उपलब्ध जल का दक्षतापूर्ण उपयोग भी एक बड़ी चुनौती होगी। कमाण्ड क्षेत्र विकास, लघु सिंचाई का उपयोग तथा आर्थिक मूल्य निर्धारण को प्राथमिकता दी जाएगी।

1.B.1 प्रति वर्ष 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।

1.B.1.1 12वीं योजना में परिलक्षित सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रबी में संचयी वास्तविक सिंचित क्षेत्र को कम से कम 33 लाख हेक्टेयर तक ले जाया जायेगा।

1.B.1.2. वर्ष 2018 तक सिंचाई में करीब 700 लघु परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

1.B.1.3. वर्तमान की सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में नहर अस्तरीकरण की पहल की जायेगी।

1.B.1.4. सभी जिलों में सिंचाई के लिये प्रति दिन 10 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

1.B.1.5. चिन्हित क्षेत्रों में कमांड क्षेत्र विकास सिद्धांत आधारित माइक्रो इरिगेशन क्षेत्राच्छादन में पाँच गुना से अधिक की बढ़ोत्तरी।

1.B.1.6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भू-जल पुनर्भरण को जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन।

1.B.1.7. कुल 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल्स और वाटर कोर्स का निर्माण।

1.B.1.8. जल प्रयोग की दक्षता में वृद्धि हेतु आर्थिक मूल्यांकन को बढ़ावा और विशेषज्ञ सलाह सुनिश्चित करने के लिए एक जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

1.B.2 प्रभावी अंतर्विभागीय समन्वय के उद्देश्य से समग्र कमांड क्षेत्र विकास परियोजनाओं का प्रारंभ।

1.B.2.1 सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र का विकास किया जायेगा।

1.B.2.2 कृषि जल प्रयोग की दक्षता में 10% वृद्धि की जायेगी।

1.B.2.3. सभी नयी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र के 10% का माइक्रो इरीगेशन के तहत आच्छादन। भविष्य में सभी सिंचाई परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र का दो-तिहाई घटक माइक्रो इरिगेशन का होगा।

1.B.2.4 सतही और भूमिगत जल के संयुक्त प्रयोग को सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जायेगा।

1.B.2.5. सभी बड़े कमांड क्षेत्रों के लिये एक प्रभावशाली संस्थागत व्यवस्था स्थापित की जायेगी।

1.B.2.6 WALMI और सम्बन्धित संस्थाओं को सशक्त कर संस्थागत प्रशिक्षण क्षमताओं का विस्तार।

1.B.3 नर्मदा-मालवा वॉटर लिंक स्थापित कर मालवा क्षेत्र को सिंचाई के लिये जल की उपलब्धता

1.B.3.1 नर्मदा-मालवा लिंक परियोजना के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। माइक्रो इरिगेशन नेटवर्क परियोजना के माध्यम से 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

1.B.3.2. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पहल के तहत नर्मदा जल के माध्यम से नदियों और भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाएगा। इससे 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा।

—x—

19/12 2013 1:49 PM FAX 0002